86
20/2/14

(167)

श्री ...
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 20/2/2014
को प्रस्तुत

R-770-PBR/14

राजस्व निगरानी प्र० क्र०

मानननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष

श्रीमती सीताबाई पति हरलालसिंह ठाकुर
आयु ६६ वर्ष, धन्धा कृषि व गृह कार्य
निवासी ग्राम लण्डेल, तह० व जिला इन्दौर -- आवेदक

विरुद्ध

चरणसिंह पिता हरलालसिंह ठाकुर
आयु ५२ वर्ष, धन्धा चिकित्सक
निवासी ग्राम लण्डेल, तह० व जिला इन्दौर व
श्री हंस दवाखाना, सिहोरफाटा, नसरुल्लागंज -- अनावेदक

राजस्व निगरानी अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता

माननीय अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर व्दारा राजस्व द्वितीय अपील क्रमांक 541/12-13 अपील में पारित आदेश दि० 31/07/ जिसके व्दारा उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी, इन्दौर तथा तहसीलदार, इन्दौर व्दारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुवे अपील सरसरी तौर पर निरस्त की, उसी से असन्तुष्ट होकर विधि एवम् तथ्य के मिश्रित प्रश्न पर प्रार्थी यह निगरानी याचिका निम्न तथा अन्य आधारों पर योग्य मुद्रापत्रों पर सादर प्रस्तुत करती है -

निगरानी के आधार

(१) यह कि विव्दान अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आलोच्य आदेश विधि-विधान तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के पूर्णतः विपरी होने से स्थिर रहे जाने योग्य नहीं है।

(२) यह कि विव्दान अपर आयुक्त महोदय व्दारा पारित आलोच्य आदेश इस महत्वपूर्ण तथ्य को दृष्टि ओझल करते हुए पारित किया गया ...

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 770-PBR/14 [सीताबाई/चरणसिंह] जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
21-3-2018	आवेदिका की ओर से कोई उपस्थित नहीं । यह प्रकरण वर्ष 2014 से ग्राह्यता के स्तर पर तर्क हेतु लम्बित है । ग्राह्यता के सम्बन्ध में प्रकरण का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदिका द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115, 116 के अन्तर्गत समय बाह्य कार्यवाही की गई है । अतः अपर आयुक्त द्वारा आवेदिका की अपील अग्राह्य कर तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश स्थिर रखने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	